Order Sheet [Contd] Case No 26/2017 बी.ए

	Case IVU 20 / 20	211 -111.7
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19.01.2017	आवेदक/आरोपी इकलाख खाँ उर्फ इकलाक खाँ की ओर से श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद से प्र0क0 458/2011 ई.फो. शासन मी वि० इकलाख का मूल अभिलेख प्राप्त। अवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री बी.एस.यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फो० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक/आरोपी उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व पेशी पर अपना व परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी पर बाहर चला गया था जिस कारण न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था और न ही अपने अभिभाषक को अनुपस्थित की सूचना दे पाया था, जिस कारण न्यायालय के द्वारा उसके जमानत मुचलके जप्त कर उसे गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया है। आवेदक/आरोपी के द्वारा स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है और वह दिनांक 10.01.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक गोरियन टोला मौ का स्थाई निवासी है वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अतः उसे उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 25(1—बी)ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरक्ति कर विचारण चल रहा है जो कि सन् 2011 से आरोपी का विचारण चल रहा है। प्रकरण में आरोपी जिस कि पूर्व में जमानत पर छोडा गया था दिनांक 27.03.2014 को अनुपस्थित हो गया था और उसे बाद में गिरफ्तार कर दिनांक 20.05.2014 को पुनः जमानत पर छोडा गया है। इसके उपरांत दिनांक 25.03.2015 को आरोपी पुनः अनुपस्थित रहा है और पुनः उसे गिरफ्तार कर न्यायालय	
	जारता चुन अनुनारकत रहा है जार चुन जरा निरम्सार कर जानाराय	

में पेश किया गया है और न्यायालय के द्वारा पुनः दिनाक 22.02.2016 को आरोपी जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ा गया है कि वह प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा और प्रकरण के विचारण में बिलम्व कारित नहीं करेगा, किन्तु इसके उपरांत भी आरोपी पुनः दिनांक 21.09.2016 को अनुपस्थित रहा है और इस कारण पुनः उसको गिरफतारी वारंट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण जिसमें कि आरोपी बार बार अनुपस्थित हो रहा है और उसके द्वारा जमानत की शर्तों का बार बार उल्लघन किया जा रहा है, जिसके कारण सन् 2011 से प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिलक्षित होता है कि आरोपी जानबूझकर के अनुपरिथत रह रहा है और जमानत प्रावधानों का उल्लघन कर रहा है।

विचारोपरांत आवेदक / आरोपी के लगातार जमानत प्रावधानों का उल्लंघन एवं उसके अनुपरिथति के कारण प्रकरण लम्बे समय से निराकृत नहीं हो पाने को दृष्टिगत रखते हुए उसकी ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अतर्गत धारा 439 जा.फौ. स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

. नस अर्घ।

त्कार्ड अभिलेखागार भ

(डी०सी०थपलियाल)
ए.एस.जे. गोहद आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख बापस अधीनस्थ न्यायालय

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे 🔥